प्रेस नोट
दिनांक 17.10.2024

थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर लड़की के साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–196/24, धारा 376,323,392,506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राजेश यादव पुत्र रामप्रकाश यादव नि0 ग्राम कूकनगर हरदौनी लोहारपुरवा थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा को अढवाघाट पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 19.09.2024 को थाना खोड़ारे क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की द्वारा जनशिकायत के दौरान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के समक्ष प्रस्तुत होकर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसका अभियुक्त राजेश यादव के साथ लगभग 06 वर्षो से प्रेम सम्बन्ध चल रहा था। करीब 8 माह पूर्व अभियुक्त राजेश यादव द्वारा शादी का झांसा देकर उसे अपने घर ले गया और बतौर पत्नी की तरह उसके साथ रहने लगा। कुछ दिन उपरान्त अभियुक्त के परिजनों द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाने लगा। दिनांक 22.01.2024 को अभियुक्त राजेश यादव अपने परिजनों के द्वारा बनायी गयी प्लानिंग के तहत रहस्यमय ढंग से झूठा सुसाइट नोट लिखकर घर से कही चला गया तथा परिजनों द्वारा उसके जेवरात छीनकर उसे घर से भगा दिया गया है। महोदय द्वारा प्रकरण को संज्ञान में लेकर विपक्षीगणों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देश कि अनुक्रम में आज दिनांक 17.10.2024 को थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा अभियुक्त राजेश यादव को अढवाघाट पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. राजेश यादव पुत्र रामप्रकाश यादव नि0 ग्राम कूकनगर हरदौनी लोहारपुरवा थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–196/24, धारा 376,323,392,506 भादवि थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. शशि कुमार राणा थानाध्यक्ष खोड़ारे।
02. हे0का0 अमरनाथ।
03. का0 सुधीर कश्यप।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 17.10.2024, मॉनिटरिंग सेल,</u>
<u>जनपद गोण्डा।</u>

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 7,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप चोरी के आरोपी अभियुक्त को 05 वर्षो का सश्रम कारावास व रु० 7,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोप में अभियुक्त मुरलीधर मौर्य पुत्र खुशीराम मौर्य निवासी ग्राम टिकरिया थाना छावनी जिला बस्ती को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री घनश्याम पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 चन्दा देवी व थाना नवाबगंज के पैरोकार द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोण्डा श्री रामदयाल महोदय गोण्डा द्वारा 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 07,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

<u>अभियुक्त का नाम पता-</u>

01. मुरलीधर मौर्य पुत्र खुशीराम मौर्य निवासी ग्राम टिकरिया थाना छावनी जिला बस्ती।

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

01. मु0अ0स0 -135/2012 धारा 41/411, 413 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोंडा।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>